न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 36 / 2025 बउनवानी तुलसी देवी **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर ,स0मा0
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूंगर

GCMS No-2025/ 133

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.6.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *नामा0 संख्या 863 दिनांक 6.8.2007 में अपीलान्ट का नाम सही करवाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना* " अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(31)/सूकाअ/2025/475 दिनांक 20.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.3.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग को जरिये पत्रांक 283–85 दिनांक 25.3.2025 से लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1902–03 दिनांक 4.4.2025 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार बौंली को अन्तरित कर अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखते हुए अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया दिया कि उक्त सूचना के संबंध मे तहसीलदार बौंली से पत्राचार करे। इस प्रकार वांछित सूचना तहसीलदार बौंली से संबंधित होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार बौंली को अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना तहसीलदार बौंली के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:15:05 IST
Reason: SelfAttested